भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †3517

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटक सुविधाओं के लिए निधि का आवंटन

†3517. श्री राजू बिष्ट:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में पर्यटक सुविधाओं, दर्शनीय स्थलों, पैदल रास्तों और अन्य पर्यटक सुविधाओं के उन्नयन के लिए आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि कितनी है; और

(ख) उक्त जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत विकास के लिए चिह्नित ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम समूहों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): पर्यटक सुविधाओं, व्यू-प्वाइंट, पैदल यात्री मार्गों और अन्य पर्यटक सुविधाओं सहित पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास, संवर्धन और उन्नयन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' - एसडी 2.0 की एक उप-योजना और 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को उनसे योजना दिशा-निर्देशों एवं सरकारी निदेशों के अनुरूप, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रस्तुति, निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता आदि के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्यटन अवसंरचना के विकास संबंधी उनके प्रयासों को संपूरित करता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास' नामक योजना के तहत पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए वर्ष 2024-25 में राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

गृह मंत्रालय गांवों के व्यापक विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम-I (वीवीपी-I) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 662 गांवों को प्राथमिकता के आधार पर विकास के लिए चिह्नित किया गया है तथा गृह मंत्रालय द्वारा ₹3,065.32 करोड़ के परिव्यय के साथ 1,248 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 316 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

इसके अलावा, 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) - स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की एक उप-योजना के तहत जीवंत ग्राम कार्यक्रम संस्कृति एवं विरासत, आध्यात्मिक पर्यटन और इको पर्यटन एवं अमृत धरोहर स्थलों की चार श्रेणियों में से एक है। सीबीडीडी पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने हेतु पर्यटन स्थलों को स्थायी एवं जिम्मेदारीयुक्त स्थलों के रूप में बदलने हेतु गंतव्यों का समग्र विकास करना है। सीबीडीडी की जीवंत ग्राम कार्यक्रम श्रेणी के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रू. में)**
1.	अरुणाचल प्रदेश	किबिथो फ्रंटियर पर्यटन - शांति का प्रवेश द्वार	4.96
2.	हिमाचल प्रदेश	रक्छम-जीवंत ग्राम में पर्यटन अवसंरचना का विकास	4.96
3.	सिक्किम	वीरता की गूँज: ग्नथांग घाटी अनुभव	5.00
4.	उत्तराखंड	माना हाट	4.99
5.	उत्तराखंड	जादुंग उत्सव मैदान	4.99

उपर्युक्त योजनाओं के तहत परियोजना को मंजूरी देना एक सतत् प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन 2.0, सीबीडीडी, एसएएससीआई और प्रशाद योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के विशेष रूप से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**योजना**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत राशि**	**प्राधिकृत राशि**	**उपयोग की गई राशि**	**स्थिति**
1.	स्वदेश दर्शन	तटीय परिपथ: उदयपुर-दीघा-शंकरपुर-ताजपुर-मंदारमणि-फ्रेसरगंज-बक्खलाई-हेनरी द्वीप का विकास	2015-16	67.99	65.07	65.07	भौतिक रूप से पूर्ण
2.	प्रशाद	बेलूर मठ का विकास	2016-17	30.03	28.30	23.39	भौतिक रूप से पूर्ण
